आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 04.05.2025 **समय : 0705**

- **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने न्याय प्रदान करने और सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका पर जोर दिया।**
- **केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल0 मुरुगन ने कल मुंबई में राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए।**
- **मुख्य सचिव ने कल रंगत और लांग आइलैंड का आधिकारिक दौरा किया।**
- **एम वी सिंधु और एम वी कैम्पबेल बे के यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया।**

<><><><><><><><>

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत विवाद समाधान तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी बनाना चाहिए। इससे पंचायतों को गांवों में विवादों को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि गांवों में सामाजिक सद्भाव राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है। नई दिल्ली में भारतीय मध्यस्थता संघ के शुभारंभ और राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता न्याय प्रदान करने का एक अनिवार्य अंग है, जो देश के संविधान के मूल में है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता न केवल विचाराधीन मामले में, बल्कि अन्य मामलों में भी बड़ी संख्या में मुकदमों के न्यायालयों पर बोझ को कम करके न्याय दिलाने में तेजी ला सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह समग्र न्यायिक प्रणाली को और अधिक कुशल बना सकता है तथा व्यापार करने और जीवन जीने में आसानी ला सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि पिछले दो दशकों में मध्यस्थता ने विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि दो हजार सोलह से दो हजार पच्चीस के बीच मध्यस्थता के जरिए सात लाख सत्तावन हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, दो हजार तेइस को लागू किया है। इससे मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया गया है।

<><><><><><><><>

केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल0 मुरुगन ने कल मुंबई में आयोजित आठवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर बारह उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम वेव्स के अंतर्गत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री मुरुगन ने कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में सामुदायिक मीडिया के क्षेत्र को नवाचार, समावेशिता और प्रभाव के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो देश के कोने–कोने तक नागरिकों से जुड़ने का एक प्रभावशाली माध्यम है। श्री मुरुगन ने यह भी कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण विकास पहलों को देश के हर हिस्से तक पहुंचा रहे हैं।

<><><><><><><><>

मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने कल रंगत का आधिकारिक दौरा कर प्रशासन की समावेशी और उत्तरदायी शासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के तहत चल रही विकासीय गतिविधियों की समीक्षा कर स्थानीय हितधारकों के साथ बातचीत की। मुख्य सचिव ने मध्योत्तर अण्डमान के उपायुक्त, लोक निर्माण विभाग के सचिव, सूचना प्रचार एवं पर्यटन सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों और कार्यालय प्रमुखों के साथ एक व्यापक बैठक बुलाई। पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों ने प्रमुख विकासात्मक मुद्दों और स्थानीय चिंताओं पर प्रकाश डाला, जिसे मुख्य सचिव ने ध्यानपूर्वक सुना और उचित माध्यमों से आवश्यक निवारण का आश्वासन दिया। बातचीत के बाद, मुख्य सचिव ने रंगत स्कूल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आयोजित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की। मुख्य सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंगत का भी निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों और पैरा–मेडिकल कर्मचारियों के साथ चर्चा की, जिसमें जैव चिकित्सा कचरे के प्रबंधन और निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया। अपने क्षेत्र के आकलन के भाग के रूप में, उन्होंने निंबुतला में रमन बगीचा बीच का भी दौरा किया ताकि पर्यटन विकास की संभावनाओं का पता लगाया जा सके और संबंधित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने की गुंजाइश का आकलन किया जा सके। बाद में मुख्य सचिव लॉन्ग आइलैंड के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्होंने फुटपाथों की आधारशिला रखी और जिला परिषद द्वारा निर्मित नव

निर्मित फुटपाथों का उद्घाटन किया। इन रास्तों से स्थानीय बुनियादी ढांचे और द्वीप के निवासियों के लिए आवागमन में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

<><><><><><><>

जहाजरानी सेवा निदेशालय ने एम वी सिंधु और एम वी कैम्पबेल बे के संशोधित यात्रा कार्यक्रम जारी किए हैं। एम वी कैम्पबेल बे चौदह मई को शाम चार बजे श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी विशाखापत्तनम से श्री विजयपुरम के लिए अट्ठारह मई को शाम चार बजे होगी। उधर, एम वी सिंधु चेन्नई के लिए श्री विजयपुरम से सोलह मई को शाम चार बजे छूटेगा और बीस मई को चेन्नई से श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। विशाखापत्तनम के लिए टिकट कल और चेन्नई के लिए टिकट छः मई को स्टार्स टिकटिंग काउंटर से सुबह नौ बजे से शाम चार बजे के बीच जारी किए जाएंगे। यात्री विभाग के पोर्टल से भी टिकट बुक करा सकते हैं। ये सभी यात्रा कार्यक्रम मौसम पर निर्भर है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि राजस्व नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से मिट्टी निकालने और मिट्टी डालने में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पहाड़गाँव में हाल ही में किए गए क्षेत्र निरीक्षण के दौरान, राजस्व अधिकारियों ने मिट्टी के अवैध निष्कर्षण और डंपिंग से जुड़ी अवैध गतिविधियों का पता लगाया और अपराधियों पर पैंसठ हजार छह सौ रूपए का जुर्माना लगाया गया। लंबा लाइन क्षेत्र में एक अलग निरीक्षण के दौरान राजस्व अधिकारियों को इसी तरह के उल्लंघन मिले। मिट्टी के अनधिकृत निष्कर्षण और डंपिंग के लिए जिम्मेदार लोगों पर चौबीस हजार रूपए का रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर, पहाड़गाँव और लंबा लाइन दोनों गाँवों में बिना आवश्यक अनुमति के लगभग एक सौ बासठघन मीटर मिट्टी का अवैध रूप से खनन किया गया था। उपायुक्त ने अवैध खनन, मिट्टी परिवहन और अनधिकृत डंपिंग में लिप्त सभी ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी जारी की है।

<><><><><><><>

खेल विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूली बच्चों को उनकी क्षमता का उपयोग करने और उन्हें सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क कोचिंग समर कैंप का आयोजन करेगा। कोचिंग कक्षाएं विभिन्न खेल विषयों एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल के लिए आयोजित की जाएंगी। इच्छुक छात्र संबंधित खेल अनुभाग के कोचों के पास अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं।

<><><><><><><>

नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए दो महीने यानी मई और जून के लिए राशन अग्रिम रूप से वितरित किया जाएगा। लाभार्थी एक मई से तीस जून के बीच दो महीने का खाद्यान्न ले सकते हैं। जो राशन कार्ड धारक मई, के महीने में राशन सामग्री नहीं ले पाते हैं, वे जून के महीने में भी अपना खाद्यान्न ले सकते हैं।

<><><><><><><>